

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2889/2026

Narayan Lal Gurjar S/o Ladu Lal Gurjar, Aged About 34 Years,
R/o Rampura (Devariya Kheda) PS Phuliya Kalan, District
Bhilawar.

In Judicial Custody At District Jail Bhilwara

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री जगतवीर सिंह देवडा
For Respondent(s)	:	श्री हनुमान प्रजापति, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— फूलियाकलां, जिला— भीलवाडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 35/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ 25.180 किलोग्राम अफीम डोडा चुरा बरामद होना दर्शित किया गया है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आता है, जिससे धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त काफी समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण के

अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी आक्षेपित नहीं है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त से बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा नहीं है जिससे धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है, प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **नारायण लाल गुर्जर पुत्र लादूलाल गुर्जर** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J